I/64653/2023

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

दिनांक-:-28-05-2023

प्रेषक,

राहुल कुमार, भा०प्र०से०,
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-अपर-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सहरसा।

विषय:- **सहरसा जिले में महात्मा गाँधी नरेगा के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मनरेगा Master Circular उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।**

प्रसंग:- **लोकपाल मनरेगा सहरसा का कार्यालय पत्रांक 88-1, दिनांक 21.04.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना हैं कि आपके जिले के लोकपाल मनरेगा द्वारा प्रसंगाधीन पत्र द्वारा जिले अंतर्गत महात्मा गाँधी नरेगा के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न है। पत्र में वर्णित विषय वस्तु की सम्यक समीक्षा अपने स्तर से करते हुए लोकपाल मनरेगा को वांछित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाय तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अनुलग्नक: **यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

Signed by Rahul Kumar
Date: 28-05-2023 13:58:48

(राहुल कुमार)
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ।

प्रतिलिपिः लोकपाल मनरेगा, सहरसा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24-04-2023
309
25/04/23

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सहरसा

लोकपाल मनरेगा कार्यालय सहरसा
पत्रांक 88-1 जि०ग्रा०अभि०

प्रेषक,

लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
सहरसा।

सेवा में,

आयुक्त मनरेगा,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार पटना।

सहरसा दिनांक 21/04/2023

विषय:- सहरसा जिला के कतिपय प्रखंडों में मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों की सूची से इतर योजना में कार्य कराने के संबंध में मार्गदर्शन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहरसा जिला के कतिपय प्रखंडों के जनप्रतिनिध-सह-परिवाद कर्त्ता के परिवाद पत्र से ज्ञात हुआ है कि प्रखंडों में मनरेगा के पदाधिकारीयों /कर्मियों द्वारा मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों की सूची से इतर योजनाओं यथा जीविका दीदी के निजी भूमि के विकास उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापक पैमाने पर किया गया है तथा किया जा रहा है के संबंध में निम्नवत् है:-

1. आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 417507 दिनांक 19.03.2019 के कंडिका (iv) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी परिस्थिति में कच्चा सड़क (मिटटी रोड, मोरम रोड) का निर्माण कार्य निजी वास का भूमि (Home Stead Land) पर मिटटी भराई समतलीकरण कार्य नहीं किया जायेगा। "सार्वजनिक भूमि के मामले में केवल प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) हेतु भूमि विकास को छोड़कर अन्य प्रकार के मिटटी कार्य अनुमान्य नहीं होंगे। किसी भी परिस्थिति में कब्रिस्तान श्मशानघाट आदि में सिर्फ मिटटी कार्य नहीं कराया जा सकता है"
2. मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों के 262 सूची के क्रमांक संख्या 60 व्यक्तियों के लिए बंजर भूमि/परती भूमि का समतलीकरण का सही आकार देना। क्रमांक संख्या 61 व्यक्तियों के लिए चौर या जल भराव क्षेत्रों वाली भूमि की निकासी। क्रमांक संख्या 62 समुदाय के लिए बंजर भूमि का समतलीकरण या सही आकार देना। क्रमांक संख्या 63 समुदाय के लिए चौर भूमि का विकास।

   उक्त क्रमांक 60 से 63 तक कहीं जीविका दीदी के व्यक्तिगत लाभ हेतु भूमि विकास का उल्लेख नहीं है। यदि ऐसा है तो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार के सभी समुदाय एवं अन्य व्यक्तियों को भूमि का भी विकास श्रेष्कर होगा।
3. ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के पत्र का पत्रांक 1/13164 /2021 दिनांक 22.11.2021 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 1106014/2019 RE-VII96681 दिनांक 20.10.2021के आलोक में भी मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों की सूची से इतर योजनाओं में कार्य कराना अनुमान्य नहीं है।
4. विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप पूर्व के वित्तीय वर्षों में अनुमेय सूची से इतर योजनाओं पर सिर्फ मिटटी भराई कार्य पर रोक लगाई गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में व्यापक पैमाने पर विभागीय दिशानिर्देश कि विपरीत मिटटी भराई का कार्य किया जा रहा है तथा राशि का दुरूपयोग किया जाता है।

अतएव उक्त के आलोक में भवदीय से अनुरोध है कि मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों की सूची से इतर योजनाओं में कार्य कराने के संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगें। सहरसा जिला में मनरेगा से संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के मार्गदर्शन के पश्चात् ही मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों की सूची से इतर योजनाओं में कार्य करना श्रेष्कर होगा।

विश्वासभाजन
21/04/2023
लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
सहरसा।

Asst. Ranjit
25/4

2943
25/4/23

Generated from eOffice by RANJIT KUMAR, BRDS-ASST(RNK)., ASSISTANT, BRDS on 31/05/2023 03:04 pm

ज्ञापांक 88-1 /जि०ग्रा०वि०अभि०,सहरसा दिनांक 21 / 04 / 2023

प्रतिलिपिः— सहरसा जिला के सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— उप विकास आयुक्त, —सह— अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, (मनरेगा) सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी—सह— जिला कार्यक्रम समन्वयक,(मनरेगा) सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/04/2023

लोकपाल मनरेगा,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
सहरसा।

Generated from eOffice by RANJIT KUMAR, BRDS-ASST(RNK)., ASSISTANT, BRDS on 31/05/2023 03:04 pm